

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय चंदेरी, जिला अशोकनगर, (म.प्र.)
(समक्ष – सैफी दाऊदी)

आपराधिक अपील क. 130/2016

संस्थित दिनांक 15.11.16

सी.आर.ए./36/2017

लख्खू पुत्र गड़रिया आयु 55 वर्ष, धंधा मजदूरी
निवासी ग्राम डुंगासरा थाना चंदेरी जिला
अशोकनगर म.प्र.

----- अपीलार्थी/अभियुक्तग

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र
चंदेरी जिला अशोकनगर, म.प्र.

----- प्रत्यर्थी/अभियोजक

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा	:- श्री पठान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी/अभियोजन द्वारा	:- श्री मुकेश राजपूत अपर लोक अभियोजक।

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक को पारित किया गया)

1. अपीलार्थी/अभियुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभियुक्तगण संबोधित किया जाएगा) ने वर्तमान अपील श्री जफर इकवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 423/2010 मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी विरुद्ध लख्खूमें पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 01.11.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके अधीन अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के सिद्धदोष आरोप हेतु 100 रुपये के अर्थदंड, धारा 324 भादवि के सिद्धदोष आरोप हेतु तीन माह के साधारण कारावास से तथा 200/- रुपये के अर्थदंड से तथा धारा 506 भाग दो भादवि के सिद्धदोष आरोप हेतु 200/- रुपये के और अर्थदण्ड के व्यक्तिक्रम में क्रमशः तीन दिवस के कारावास के दंडादेश से दंडित किया है, के विरुद्ध वर्तमान आपराधिक अपील धारा 374 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन प्रकरण संक्षिप्त

में यह रहा है कि फरियादी सुशीलाबाई ने पुलिस थाना चंदेरी पर उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि, उसका मकान तथा अभियुक्त लख्खू का मकान पास पास में है तथा दोनों मकानों के बीच में एक गढी है। घटना दिनांक को रात्रि करीब 10 बजे अभियुक्त लख्खू उससे बोला कि मादरचोद की मकान खाली करके चली जाना उसने गालियां देने से मना किया इसी बात पर लख्खू ने उसके कुल्हाड़ी की मारी, बांयी आंख के उपर लगी चोट होकर खून निकल आया। वह रिपोर्ट करने को आने लगी तो अभियुक्त लख्खू ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला कि मादरचोद की अगर रिपोर्ट करने गयी तो आइंदा जान से मारकर फँक देगा। गवाह माधौ गड़रिया, नारायण हरिजन थे। कल रात हो जाने से तथा आने का साधन नहीं होने से रिपोर्ट करने नहीं आ सकी। अभियोगी की उक्त मौखिक रिपोर्ट पर से पुलिस थाना चंदेरी पर प्रदर्श पी 1 अपराध क्रमांक 360/2010 धारा 324, 341, 294, 506 भा. दं.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान अभियोगी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पश्चात् अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324, 341, 294 506 भाग—दो भा.दं.वि. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोप विरचित किये गये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया और अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. संपन्न किये जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित करते हुए, फरियादी द्वारा उसके मकान पर कब्जा करना का तथ्य अभिकथित कर अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं देना अभिकथित किया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का मूल्यांकन कर अभियुक्त निर्णय की कंडिका 1 में वर्णित दंडादेश अधिरोपित किया, उक्त दंडादेश के विरुद्ध ही वर्तमान आपराधिक अपील विचाराधीन है।

6. **अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि** प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी द्वारा घटना रात दस बजे की अंकित करायी है, जबकि न्यायालयीन कथन में संपूर्ण अभियोजन कहानी का लोप करते हुए फरियादी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न किये जाने पर सूचक प्रश्नों का समर्थन नहीं किया गया है। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में अत्यधिक बढ़ाचढ़ाकर कथन किये गये हैं। साक्षी मोहर सिंह को घटना के समय उपस्थित नहीं होकर मात्र रिपोर्ट लिखाते समय पुलिस द्वारा उल्लेखित किया गया है जबकि मोहर सिंह द्वारा स्वयं का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है। प्रकरण के अन्य साक्षीगण माधोसिंह तथा नारायण पक्षविरोधी साक्षीगण हैं, जिन्होंने घटना का समर्थनकारी अभिकथन नहीं किया है। अभियोजन प्रकरण संभावनाओं पर आधारित है जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय

ने विश्वास कर अपीलार्थी को सिद्धदोष किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। अन्य अभिवचन समाहित करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

7. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्क के आलोक एवं अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य तथा विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन एवं परिशीलन किये जाने पर यह अवधारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं कि :-

1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि का दिया गया निष्कर्ष अभिलेखगत साक्ष्य एवं सुसंगत विधि के अनुकूल है ?" यदि हां तो"
2. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रदत्त दंडादेश विधि के अनुकूल है ?

साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष

अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 :-

8. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से अभियोगी सुशीलाबाई अ.सा.1, मोहरसिंह अ.सा.2, माधोसिंह अ.सा.3, नारायण अ.सा.4, अनुसंधानकर्ता उपनिरीक्षक खेमराज आर्य अ.सा.5, चिकित्सक डॉ एम एल खरका अ.सा. 6 का परीक्षण अंकित कराया है।

9. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से अपील मेमो में अभिवाचित तथ्यों पर ही अपने तर्कों को अवलंबित किया गया है। जबकि अभियोजन की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश को विधि अनुकूल होकर कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं होना तथा उक्त निर्णय एवं दंडाज्ञा विधि अनुकूल होना अपने तर्कों में अवलंबित किया है।

10. जहां तक अभियोगी सुशीला बाई को अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के तथ्य के प्रमाणन का प्रश्न है ? अभियोगी अपने मुख्य परीक्षण में उक्त तथ्य के संबंध में अभिकथन नहीं करती, तब उसे पूछे गये सूचक प्रश्न के उत्तर में भी इस तथ्य को असत्य होना कथित करती है कि जब वह रिपोर्ट करने जा रही थी तो अभियुक्त ने उसका रास्ता रोक लिया था और आरोपी ने उसे घटना के समय ही जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त वाक्यांश एक ही तारतम्यता में अंकित किया गया वाक्यांश है, जिसे पृथक करने हेतु मात्र कॉमा अर्थात अल्पविराम द्वारा ही पृथककृत किया गया है। अर्थात यदि एक ही तारतम्यता में पढ़ा जाये तो स्वयं अभियोगी को जान से मारने की धमकी देना अभियोगी के कथनानुसार ही असत्य है और यदि अल्पविराम को पूर्ण विराम धारित करते हुए इस वाक्यांश को पृथक वाक्यांश के रूप में रख दिया जाये कि अभियुक्त ने उसे घटना के समय ही जान से मारने

की धमकी दी थी, तो भी आगे किये गये सूचक प्रश्न के उत्तर में अभियोगी अपने पुलिस कथन के ए से ए भाग का अभिकथन पुलिस को अंकित नहीं कराना अभिकथित कर एक विरोधाभास को प्रकट करती है।

11. प्रदर्श पी 3 के अभियोगी के ए से ए भाग के अभिकथन में अभियुक्त द्वारा अभियोगी को रास्ता रोककर गाली देते हुए रिपोर्ट करने जाने पर आइंदा जान से मार कर फेंक देने का तथ्य अंकित होना और इस तथ्य का अंकन पुलिस को अभियोगी द्वारा अंकित नहीं कराना अभियोगी के पूर्ववर्ती सूचक प्रश्न के उत्तर में अभिकथित कथन से सर्वथा प्रतिकूल और विरोधाभासी अभिकथन होकर अभियोगी के पुलिस कथन प्रदर्श पी 3 में किसी अन्य स्थल पर अभियुक्त द्वारा अभियोगी को जान से मारने की धमकी देने का तथ्य प्रकट नहीं करने से प्रदर्श पी 3 के ए से ए भाग का अभिकथन ऐसे महत्वपूर्ण लोप के रूप में अभियोजन प्रकरण की सत्यता के संबंध में उसे प्रतिकूल रूप से जड़ तक प्रभावित करने वाला लोप है जो अभियुक्त के विरुद्ध धारा 506 भाग दो भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध के प्रमाणन को प्रतिकूल रूपेण प्रभावित कर उसके प्रमाणन की सत्यता को स्वमेव समाप्त करता है।

12. इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की अंतर्वस्तु अनुसार यदि अभियोगी रिपोर्ट करने गयी तो आइंदा उसे जान से मार कर फेंक देने का तथ्य बी से बी भाग में अंकित तथ्य है। अर्थात् अभियुक्त द्वारा कारित धमकी का प्रभाव भविष्य में उद्भूत किये जाने के संबंध में अभिकथित तथ्य के रूप में प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा दिये जाने के पश्चात् अभियुक्त ने अभियोगी सुशीला बाई को पश्चातवर्ती प्रक्रम पर इस रिपोर्ट को अंकित कराने से व्यथित होकर कोई शारीरिक क्षति या संपत्ति संबंधी क्षति कारित किये जाने हेतु कोई आचरणगत आपराधिक कृत्य किया है, ऐसा कोई तथ्य भी अभियोजन की ओर से प्रमाणित नहीं होता।

13. धारा 506 भाग दो भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध मात्र धमकी के उच्चारण से ही आकर्षित नहीं होता जब तक कि मौके पर अभियुक्त के हावभाव या आचरण से यह दर्शित नहीं होता कि वह उसके द्वारा उच्चारित की गयी धमकी को तत्काल मौके पर ही अथवा भविष्य में किसी समय कार्यान्वित करने का आशय धारित किये हुए है। उक्त तथ्य के प्रमाणन का अभाव भी अभियुक्त के विरुद्ध की गयी धारा 506 भाग दो भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध के प्रमाणन को विधि अनुकूल नहीं होना प्रकट होने से इस दोषसिद्धि को स्थिर रखा जाना विधि अनुकूल नहीं होने से अपास्त किया जाता है और अभियुक्त को धारा 506 भाग दो भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. जहां तक अभियुक्त द्वारा अभियोगी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोव कारित किये जाने के तथ्य के संबंध में दोषसिद्ध किये जाने की विधि अनुकूलता का प्रश्न है ? अभियोगी सुशीलाबाई मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा उसे गाली दिये जाने

में प्रयुक्त किये गये विशिष्ट शब्द को अभिकथित नहीं करती और पश्चात सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस तथ्य को स्वीकार करती है कि घटना के समय अभियुक्त लखबू उससे बोला था कि मादरचोद तू मकान खाली करो। साक्षी मोहरसिंह प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्त द्वारा उच्चारित उक्त विशिष्ट शब्द को अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट नहीं करता।

15. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में साक्षीगण के रूपमें नामित माधव गडरिया एवं नारायण में से उक्त दोनों ही साक्षीगण माधव अ.सा.3 एवं नारायण अ.सा.4 अपने मुख्य परीक्षण में एवं सूचक प्रश्न के उत्तर में अभियोगी के कथन का कोई समर्थनकारी अभिकथन अभिकथित नहीं करते। प्रदर्श पी 1 की अंतर्वस्तु अनुसार साक्षी मोहरसिंह अ.सा.2 जो कि अभियोगी का पति है, प्रश्नगत घटना के समय मौके पर मौजूद रहा व्यक्ति होना प्रकट नहीं है। तब ऐसी स्थिति में प्रश्नगत गाली के संबंध में अभियोगी का एकल अभिकथन है, जिसका अनुसमर्थन प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में अभिलिखित कराये गये साक्षीगण माधव अ.सा.3 एवं नारायण अ.सा.4 के अभिकथन से नहीं होता, न ही अभियोगी सुशीलाबाई का अभिकथन ही इस तथ्य को प्रकट करता है कि उसे उन गालियों को सुनकर क्षोभ कारित हुआ था।

16. यदि अभियोगी का महिला होना धारित कर उसके परिप्रेक्ष्य में उच्चारित अश्लील शब्द को स्वमेव ही अश्लील होना धारित कर लिया जाये तो भी अभियोगी द्वारा प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्त द्वारा उच्चारित किये गये उस शब्द के अनुभव करने वाले स्वतंत्र साक्षीगण माधव सिंह एवं नारायण अ.सा.3 एवं अ.सा.4 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में नामित किया है जो अभियोगी के कथन का अनुसमर्थन अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित नहीं करते। तब ऐसी स्थिति में अभियोगी द्वारा इस संबंध में अभिकथित कथन का स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा अनुसमर्थन का अभाव अभिलेख पर प्रकट है।

17. तब ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 294 भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में कीगयी दोषसिद्धि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से अपास्त कर अभियुक्त को धारा 294 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18. जहां तक विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त द्वारा अभियोगी को आक्रामक आयुध से स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने के आरोप हेतु दोषसिद्धि प्रमाणन होने के तथ्य का प्रश्न है ? अभियोगी सुशीलाबाई अ.सा.1 के मुख्य परीक्षण के अभिकथनानुसार अभियुक्त ने उसे सिर के बायीं ओर कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी की नौक से उसे चोट आयी और पश्चात् अभियुक्त ने उसे दाहिने हाथ में भी चोट पहुंचायी थी।

19. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में नामित किये गये साक्षीगण माधौसिंह एवं नारायण अ.सा.3 एवं अ.सा.4 अभियोगी के कथन का अनुसमर्थन नहीं करते। साक्षी मोहरसिंह अ.सा.2 अभियोगी का पति है और मौके पर स्वयं की उपस्थिति

को दर्शित करने के तुल्य अभिकथन द्वारा यह तथ्य प्रकट करता है कि अभियुक्त लखवू ने इस साक्षी की घरवाली अर्थात् सुशीलाबाई को कुल्हाड़ी से सिर में मारा, जिससे खून निकल आया।

20. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में अभियोगी अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी से बांयी आंख के उपर चोट पहुंचाये जाने से खून निकल आना अंकित कराती है। अभियोगी अपने सूचक प्रश्न के उत्तर में स्वयं की डॉक्टरी होना अर्थात् मेडीकल परीक्षण होना कथित करती है। साक्षी चिकित्सक डॉ एम एल खरका अ.सा.6 के मुख्य परीक्षण के अभिकथनानुसार अभियोगी सुशीलाबाई का मेडीकल परीक्षण दिनांक 24.09.10 को करने पर उसने सुशीलाबाई के शरीर पर माथे पर बांयी तरफ तथा नीचे की ओर और बांयी आंख की पलक के उपर इस प्रकार कुल तीन फटे हुए घाव मौजूद होना पाते हुए चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 अंकित किया था और यह उपहतियां सख्त एवं बोथरी वस्तु से कारित की गयी उपहतियां थीं और प्रतिपरीक्षण के अभिकथनानुसार कुल्हाड़ी जैसे धारदार आयुध से पहुंचाना नहीं पाया गया था।

21. चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 के तथ्य अनुसार फटे हुए घाव के रूप में यही तीन उपहतियां मेडीकल परीक्षण के समय अभियोगी के शरीर पर विद्यमान रही उपहतियां थीं और इन्हें सख्त एवं बोथरी वस्तु से मेडीकल परीक्षण किये जाने के 24 घंटे पूर्व की अवधि में कारित किये जाने का तथ्य भी उक्त चिकित्सा प्रतिवेदन में अंकित किया गया है।

22. चिकित्सा विधि शास्त्र “मेडीकल ज्यूरिस्प्रूडेंस” में उपहतियों की प्रकृति अभिवर्णित हैं, जिसके अनुसार फटे हुए घाव सामान्यतः सख्त एवं बोथरी वस्तु से ही कारित घाव होते हैं और ऐसे घावों के किनारे असमान रूप से फैले होकर बेतरतीब किनारों के रूप में होते हैं। यदि धारदार आयुध से उपहति कारित की जाये तो उसके किनारे एकसमान चिकने होकर इन घावों को इन्साइज वुंड अर्थात् कटे हुए घाव के रूप में अंकित किया जाता है। चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 में वर्णित उपहतियां इन्साइज वुंड नहीं हैं, अपितु लेसरेटेड वुंड अर्थात् छितरे हुए घाव है जो स्वमेव सख्त एवं बोथरी वस्तु से कारित घाव हैं ऐसी स्थिति में जबकि इन उपहतियां को अभियोगी अभियुक्त द्वारा ही कारित किये जाने का तथ्य उस दशा में प्रकट होता है जहां कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में अभियोगी ने अभियुक्त द्वारा उसे बांयी आंख के उपर उपहति कारित किये जाने का तथ्य अंकित कराया है और उसके पश्चात् अभियोगी का मेडीकल परीक्षण कराये जाने पर प्रदर्श पी 8 के चिकित्सा प्रतिवेदन की अंतर्वस्तु अनुसार फटे हुए घाव के रूप में तीन उपहतियां अभियोगी के बांयी आंख के आसपास मौजूद रही हैं, जिसका अनुसमर्थन साक्षी चिकित्सक एम एल खरका अ.सा.6 के अभिकथन से भी होता है।

23. चिकित्सक डॉ. एम एल खरका अ.सा.6 का कोई विद्वेष या वैमनस्य अभियोगी सुशीलाबाई से अथवा कोई हितबद्धता अभियुक्त लखवू से होना अभिलेख से

प्रकट नहीं होने से इस साक्षी द्वारा अभिलिखित चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 की अंतर्वस्तुओं का सत्य होना भी प्रमाणन होता है।

24. यह अलग विषय है कि यह उपहतियां आकामक आयुध कुल्हाड़ी से कारित नहीं है, किन्तु सख्त एवं बोथरी वस्तु से कारित उपहति हैं और यह उपहति अभियुक्त द्वारा ही कारित किया जाना उस दशा में प्रमाणन होता है जहां कि अभियोगी सुशीलाबाई का प्रतिपरीक्षण इस तथ्य को प्रकट नहीं करता कि चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 में अभिलिखित उपहतियां फटे हुए घाव के रूप में अभियोगी के शरीर पर कारित होना स्वयं अभियोगी सुशीलाबाई के ही लापरवाहीपूर्ण कृत्य का परिणाम रही हैं, अथवा यह उपहतियां स्वयं अभियोगी ने ही अपने शरीर पर स्वयं ही कारित कर ली हैं।

25. ऐसी स्थिति में अभियोगी के शरीर पर विद्यमान उपहतियां अभियुक्त के ही आपराधिक कृत्य का परिणाम होना प्रमाणित हैं और जहां यह उपहतियां फटे हुए घाव के रूप में सख्त एवं बोथरी वस्तु से कारित की गयी उपहतियां हैं वहां यह उपहति कारित करने में प्रयुक्त साधन अर्थात् आयुध के सख्त एवं बोथरे होने से धारा 323 भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में उक्त समस्त तथ्यों पर विद्वान विचारण न्यायालय ने सूक्ष्मता से साक्ष्य मूल्यांकन नहीं कर अभियुक्त लख्खू भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के आरोप हेतु दोषसिद्ध करने में विधिक त्रुटि कारित की है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से इसे अपास्त कर अभियुक्त का संशोधित रूप से धारा 323 भादवि के दंडनीय अपराध के आरोप हेतु दोषसिद्ध किया जाता है।

अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 2 :-

26. जहां तक अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ प्रदत्त नहीं किये जाने का प्रश्न है, अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवीक्षा पर उन्मुक्त नहीं किया जाना अभियुक्त द्वारा आहत सुशीलाबाई को उपहति किया जाना प्रकट होने से उसे परिवीक्षा पर उन्मुक्त नहीं किये जाने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है।

27. ऐसी स्थिति में अभियुक्त लख्खू के संबंध में दिये गये निष्कर्ष एवं दण्डादेश को परिवर्तित कर अभियुक्त लख्खू को धारा 323 भा.द.वि के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हेतु सिद्धदोष घोषित किये जाने के रूप में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष को परिवर्तित किया जाता है और तदनुसार अभियुक्त लख्खू को धारा 323 भा.द.वि. के अंतर्गत दंडनीय आरोप हेतु सिद्धदोष घोषित किया जाता है।

28. ऐसी स्थिति में अभियुक्त को धारा 323 भा.द.वि के सिद्धदोष आरोप हेतु न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000/- “एक हजार रुपये” के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

29. अभियुक्त लख्खू द्वारा अर्थदंड अदा न किये जाने पर उसे 15 दिवस का साधारण कारावास, अतिरिक्त कारावास के रूप में भुगताया जावे।

30. अभियुक्त लख्खू द्वारा जमा कराये गये अर्थदण्ड में से आहत सुशीलाबाई को 500/-रूपये प्रतिकर अंतर्गत धारा 357-1 द.प्र.सं के अधीन दिये जायें।

31. अभियुक्त लख्खू द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में जमा कराई गयी अर्थदंड की राशि उसके वर्तमान अर्थदण्ड की राशि उसके वर्तमान अर्थदण्ड की राशि में समायोजित की जावे।

32. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

33. तदनुसार अपील अंशतः स्वीकार की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे उद्बोधन पर टंकित किया
हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया। गया।

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश,
श्रंखला न्यायालय चंदेरी
अशोकनगर (म.प्र.)
दिनांक— 25.02.18

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश
श्रंखला न्यायालय चंदेरी
अशोकनगर (म.प्र.)